/

पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–02/2017......167....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद/गया/मुंगेर।

पटना–15, दिनांक– 20/3/18

विषय:– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उपमुख्यशीर्ष –60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम– लघु शीर्ष –200– अन्य कार्यक्रम– उपशीर्ष –0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड–39–2235602000008 मद मे कुल ₹31.50 लाख (इकतीस लाख पचास हजार रू0) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष –2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष –60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200– अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष –0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –200 अन्य कार्यक्रम।
उपशीर्ष –0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान
मांग संख्या– 39, विषय शीर्ष– 37 01 अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औरंगाबाद	9	0	0.00 (शून्य)	23.50 (तेईस लाख पचास हजार)	23.50 (तेईस लाख पचास हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, दिवाल गिरने के कारण
2	गया	1	0	37.50 (सैतीस लाख पचास हजार)	4.00 (चार लाख)	41.50 (इकतालीस लाख पचास हजार)	भगदड़
3	मुंगेर	1	0	5.50 (पाँच लाख पचास हजार)	4.00 (चार लाख)	9.50 (नौ लाख पचास हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
कुल योग		11	0	43.00 (तेतालीस लाख)	31.50 (इकतीस लाख पचास हजार)	74.50 (चौहत्तर लाख पचास हजार)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 132 दिनांक 12.01.18, 123 दिनांक 05.03.18 एवं 54 दिनांक 23.01.18/गया के पत्रांक 34 दिनांक 29.01.18/मुंगेर के पत्रांक 157 दिनांक 01.02.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय संकल्प संख्या 2901/आ0प्र0 दिनांक 03.10.08 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक

1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 25.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 25.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष-- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 / वि0(2) दिनांक--17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 25.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/3/18

अपर सचिव

ज्ञापांक--.....167...../आ0प्र0, पटना--15, दिनांक--20/3/18

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/18

अपर सचिव

ज्ञापांक--.....167...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक--20/3/18

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

अपर सचिव

ज्ञापांक .....167...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक--20/3/18

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/18

अपर सचिव

ज्ञापांक --.....167...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक--20/3/18

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/18

अपर सचिव

मुख्यशीर्ष– 2235–60–200–0008-- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान, पत्रांक 167 दिनांक 29/3/18

ज्ञापांक-..............167................./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-29/3/18.

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/18

अपर सचिव